आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 199/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

28-9-21

भूदाता श्रीअम्बिका सिंह, पिता–छेदी सिंह, ग्राम–अईयारा, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
152	4496	04 डी0	उतर–भुप सिंह दक्षिण–जंग बहादुर सिंह पूरब–भुप सिंह पश्चिम–सिलनाथ सिंह

मौजा– अईयारा, थाना नं०–43, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। भूदाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 द्वारा अंचल अधिकारी करपी के माध्यम नोटिस तामिला कराया गया एवं जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी करपी द्वारा नोटिस तामिला दाखिल किया गया एवं पत्रांक 447 दिनांक 07.08.2021 द्वारा जॉच प्रतिवेदन दाखिल दिया गया। भूदाता की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी के द्वारा आपति दाखिल की गई।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी का जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर अंकित है। शिव कुमार शर्मा का नाम गवाह में दर्ज है। भूदाता द्वारा भूदान–दान पत्र के माध्यम से दिनांक 30.01.1954 में वर्णित भूमि राम व्यास उपाध्याय एवं अन्य पिता– मथुरा उपाध्याय के नाम से खतीयान में दर्ज है। खतीयानी रैयत एवं भूदाता का संबंध नहीं मिलता है। अम्विका सिंह, पिता–पराव सिंह,के नाम पर जमावंदी संख्या 105/2 दर्ज है। जमावंदी रैयत भूदाता का पुत्र है। राधे श्याम सिंह एवं अन्य पिता–छेदी सिंह वर्तमान में भूमि पर दखल कब्जा है। वर्तमान कब्जाधारी भूदाता का पुत्र है। वर्तमान में भूमि धनहर है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है।

भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) विहार पटना का पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता,खेसरा, मौजा एवं रकवा अंकित है वैसे संबंधित मामलों की संपुष्ट की जायेगी।

अतः अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित
(ह०) 28-9-21
भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

(ह०) 28-9-21
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।